



IIBF VISION

खंड संख्या 19

अंक संख्या 03

अक्टूबर, 2026

पृष्ठों की संख्या - 13

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरो एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।



इस अंक में

मुख्य घटनाएँ	3
बैंकिंग नीतियाँ	4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ	5
पूंजी बाजार	6
बीमा	7
विनियामक के कथन	7
आर्थिक संवेष्टन	8
नई नियुक्तियाँ	9
विदेशी मुद्रा	9
शब्दावली	10
वित्तीय ज्ञान	10
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियाँ	10
संस्थान समाचार	11
बाजार की खबरें	12

“इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मद्देन सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/ चुके हैं और अब वे केवल संदर्भों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मद्देन में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबंधित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस समाचार मद्देन/ घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।”

मुख्य घटनाएँ

आयात-निर्यात को सुगम बनाने, व्यापार में सुविधा हेतु लागू संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियम, 2026 में आयात-निर्यात को सुगम बनाने, अनुपालन को सुदृढ़ करने तथा व्यापार में सुविधा हेतु कई उपाय किए गए हैं। 1 अक्टूबर 2026 से लागू इन संशोधनों में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

- निर्यात आगम उगाही अवधि 15 माह से घटा कर 9 माह कर दी गई है।
- भारतीय रुपए हेतु सौदा समाधान अवधि को संशोधित कर 18 माह से 12 माह कर दिया गया है।
- यथा 30 सितंबर 2026 सावधानी सूची के निर्यातकों पर सूची से उनके हटाए जाने तक पहले 2015 के विनियम लागू बने रहेंगे।
- अधिकृत डीलरों को 1 अक्टूबर 2026 से पूर्व किए गए निर्यात, आयात तथा वस्तु व्यापार संव्यवहार करने हेतु अधिक शक्तियाँ दी गई हैं।
- मर्चेंटिंग व्यापार लेनदेन करने हेतु अधिकृत डीलरों को अलग, विस्तृत और सु-प्रलेखित आंतरिक नीतियाँ एवं मानक परिचालन नीतियाँ बनानी हैं।

इन संशोधनों में छः माह की समाधान अवधि, अनुमत विप्रेषण माध्यमों और अधिकृत डीलरों को समर्थक दस्तावेजों की प्रस्तुति सहित मर्चेंटिंग व्यापार लेनदेन हेतु अपेक्षाएँ भी निर्दिष्ट की गई हैं।

पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस स्वास्थ्य हेतु संशोधित परिचालन दिशानिर्देश जारी

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाली सेवानिवृत्ति पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली स्वास्थ्य (एनपीएस स्वास्थ्य) हेतु विस्तृत संशोधित परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। दोहरी संरचना वाली इस योजना में एक एनपीएस स्वास्थ्य निवेश खाता और एक अलग सुपर टॉप-अप स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शामिल है। पॉलिसी दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस में शामिल होने वाला कोई व्यक्ति एनपीएस स्वास्थ्य में भी शामिल हो सकता है। यद्यपि नामांकन हेतु बीमा घटक अनिवार्य है, दोनों योजनाएँ परिचालन और विधिक रूप से अलग-अलग हैं। न्यूनतम प्रारम्भिक अंशदान में प्रथम वर्ष हेतु बीमा पॉलिसी प्रीमियम (कर सहित), 200 रुपए और लागू कर का वार्षिक अनुरक्षण प्रभार; तथा एनपीएस स्वास्थ्य खाते में न्यूनतम 1,000 रुपए का निवेश शामिल है। बाद के अंशदान 10 रुपए जितनी कम राशि के हो सकते हैं।

वेंचर पूंजी तथा पाबंदी वाली योजनाओं में विभेदक वितरण हेतु आईएफएससीए द्वारा ढांचा लागू

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने एक ढांचा लागू किया है जिसमें वेंचर पूंजी योजनाओं तथा पाबंदी वाली योजनाओं में विभेदक वितरण अधिकारों वाली यूनितों के बहुल वर्गों की व्यवस्था है। यह ढांचा मिश्रित वित्त तथा अन्य निधि संरचनाओं की सुविधा देने हेतु निर्मित किया गया है जिनमें जोखिम व प्रतिफल की भिन्न प्राथमिकता रखने वाले निवेशक एक ही योजना में शामिल हो सकते हैं। वरिष्ठ यूनितें जोखिम, प्रतिफल की प्राथमिकता या हानि सहनीयता में भिन्न नहीं हो सकतीं किन्तु शुल्क, करेंसी तथा अन्य परिचालन पहलुओं के मामले में भिन्न हो सकती हैं। इस ढांचे में ईसीजी योजनाओं को अनुदान का खास प्रावधान है जहां कुल अनुदान की उच्चतम सीमा योजना कॉर्पस की 49% निर्धारित है।

प्लेसमेंट मेमोरंडम के विस्तार हेतु आईएफएससीए द्वारा मानदंड जारी

निधि प्रबंधन निकाय जिनके प्लेसमेंट मेमोरंडम की अवधि पूरी हो चुकी है, को अब आईएफएससीए की ओर से राहत मिल सकती है। आईएफएससीए कालातीत प्लेसमेंट मेमोरंडम की वैधता बढ़ा सकता है वहाँ भी जहां विस्तार हेतु आवेदन वैधता

अवधि की समाप्ति के बाद किया गया हो। आवेदन विस्तार हेतु निर्धारित शुल्क तथा विलंब शुल्क के साथ होना चाहिए। शुल्क ढांचा नयी योजना दायर करने हेतु लागू शुल्क से जुड़ा होगा। योजना में इसके नाम, निवेश उद्देश्य, निवेश रणनीति, संरचना, श्रेणी या प्रकृति में कोई तात्त्विक परिवर्तन नहीं किए जा सकते। ऐसा कोई परिवर्तन केवल नए प्लेसमेंट मेमोरैंडम के जरिए किया जा सकता है।

आईएफएससीए ने बुलियन आयात हेतु क्यूजे बनने के लिए मानदंड उदार कर दिए हैं

इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) के जरिए बुलियन आयात हेतु क्वालिफाइड जुलर (क्यूजे) बनने हेतु आईएफएससीए ने अपने मानदंडों में ढील दी है। आयातकों को आयात विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफए) द्वारा अनुमत मदों तक सख्ती से सीमित रखना होगा तथा अग्रिम अनुमति में वर्णित निर्यात उद्देश्यों का अनिवार्यतः पालन करना होगा।

कर न देने हेतु आईबीसी के प्रावधानों के दुरुपयोग के विरुद्ध आईबीबीआई द्वारा चेतावनी जारी

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने इन्साल्वेंसी पेशेवरों (आईपी) को कहा है कि वे दिवाला प्रक्रिया के धोखाधड़ीपूर्ण या कपटपूर्ण उद्देश्यों हेतु उपयोग किए जाने के संकेतों के प्रति सतर्क रहें। आईपी को कुछ संकेतों जैसे समाधान प्रक्रिया में न्यूनतम प्रतिस्पर्द्धी सहभागिता या संबद्ध कॉर्पोरेट देनदारों (सीडी) में एक ही समाधान आवेदक की बार-बार मौजूदगी, सीडी या इसके समूह के प्रति, धोखाधड़ी के मामले में एक आदेश या अन्य विनियामक, प्रवर्तन या जांचकर्ता एजेंसी की कार्यवाही; पर्याप्त आधार के बगैर परिचालन बंद होने, बट्टे-खाते डालने या अशोध्य/शून्य दिखाए जाने के वावजूद संबंधित/समूह निकायों से/को पर्याप्त ऋणों, अग्रिमों या निवेशों के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए।

यूपीआई पर एमडीआर

15 अक्टूबर 2026 से यूपीआई पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेन देन मर्चेन्ट डिस्काउंट दर के अधीन आ जाएंगे जिसमें 2000 रुपए से ऊपर के व्यक्ति से व्यापारी को चुनिंदा संव्यवहारों पर 0.4% का प्रभार लगेगा। आवश्यक क्षेत्रों पर 2000 रुपए के ऊपर प्रति संव्यवहार पर 5 रुपए का समरूप एमडीआर लागू होगा जबकि पूंजी बाजार संव्यवहारों पर 0.02% प्रभार्य होगा। व्यक्ति से व्यक्ति को संव्यवहार छूट प्राप्त होंगे चाहे वे कितनी भी राशि के हों।

बैंकिंग नीतियाँ



बैंकों हेतु बाजार जोखिम पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंतिम निदेश जारी

बैंकों हेतु बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अप्रैल 2027 से लागू अंतिम निदेशों में एक बैंक की बैंकिंग बही और ट्रेडिंग बही के बीच स्पष्ट विभाजन दिया गया है। इन निदेशों का उद्देश्य विनियमों को सरल, नम्य तथा अपनाने में आसान रखना सुनिश्चित करते हुए बाजार जोखिम दिशानिर्देशों को संशोधित बासल III ढांचे से संबद्ध करना है। दिशानिर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि बाजार जोखिम पूंजी आवश्यकताओं की गणना करते समय बैंकों द्वारा ट्रेडिंग बही लिखतों के लिए ब्याज दर जोखिम और इक्विटी जोखिम; तथा ट्रेडिंग व बैंकिंग दोनों बहियों हेतु विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण व कीमती धातुओं सहित) को अवश्य शामिल करना चाहिए। पूंजी पर्याप्तता हेतु, ट्रेडिंग बही में 'ट्रेडिंग हेतु धारित' के रूप में वर्गीकृत सभी लिखतें शामिल होंगी। बैंक बाजार जोखिम पूंजी प्रभार को समेकित तथा एकल दोनों स्तरों पर परिकलित करेंगे और रखेंगे। बैंक विनियामक पूंजी आवश्यकताओं का निर्धारण करते समय ट्रेडिंग बही से बैंकिंग बही में आंतरिक जोखिम अंतरण को हिसाब में नहीं ले सकते। तथापि, वे बैंकिंग बही जोखिमों को या तो बाहरी हेज या आंतरिक जोखिम अंतरण से हेज कर सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए अंतर्निहित जोखिम कारकों पर गणना सुनिश्चित करने के लिए कर्ज म्यूचुअल फंड व एक्सचेंज व्यापारित फंड हेतु पूंजी नियमों को भी संशोधित किया है। **कुल प्रतिफल स्वैप** से हेज की गई पोजीशन को शामिल करने हेतु इसने ऋण डेरिवेटिव हेज के लिए खास जोखिम पूंजी नियम भी संशोधित कर दिए हैं।

अनकोटेड InvIT, REIT हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों का उद्देश्य मूल्यांकन में एकरूपता लाना है

अवसंरचना निवेश न्यासों (REITs) तथा रियल एस्टेट न्यासों (InvITs) की अनकोटेड यूनितों के लिए भारतीय रिज़र्व

बैंक ने मूल्यांकन मानदंड निर्धारित किए हैं ताकि मूल्यांकन में स्पष्टता और एकरूप प्रथाएँ हों। तदनुसार, कोटेड InvIT और REIT यूनिटों का मूल्यांकन मौजूदा प्रक्रिया का इस्तेमाल कर किया जाएगा जिसमें बैंक उचित मूल्य का निर्धारण फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर करते हैं। जिन प्रतिभूतियों के लिए एफबीआईएल मूल्य अनुपलब्ध हों, उनका मूल्यांकन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक या सेबी द्वारा अधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कोटेड मूल्य का उपयोग कर किया जाता है। मूल्यांकन फिक्सड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स असोसियेशन ऑफ इंडिया (FIMMDA) द्वारा घोषित मूल्यों से भी किया जा सकता है। अनकोटेड यूनिटों के लिए बैंकों को InvIT या REIT द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य का उपयोग करना होगा। InvIT तथा REIT द्वारा जारी अन्य अनकोटेड लिखतों के लिए बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के निवेश पोर्टफोलियो निदेशों के तहत विधिवत निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करेंगे।

ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं के लिए नवीकरण नियमों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्दिष्ट किया है कि एक ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव संविदा के मार्क-टू-मार्केट मूल्य का संविदा के नवीकरण के समय अंतरणकर्ता व अंतरिती के बीच पेशगी विनिमय करना होगा। एक केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) द्वारा समाधान हेतु किसी संविदा को स्वीकार किए जाने के उपरांत कोई उत्तरवर्ती नवीकरण, भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित निदेशों के अधीन होगा। 'रिमेनिंग पक्षकार' की परिभाषा को विस्तार देकर इसमें मार्केट मेकर या एक सीसीपी को शामिल किया गया है। जहां सीसीपी रिमेनिंग पक्षकार है, नवीकरण सीसीपी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाना होगा। उन मामलों में नवीकरण की अनुमति नहीं होगी जहां अंतरणकर्ता और अंतरिती दोनों उपयोगकर्ता हैं, वहाँ भी जहां एक उपयोगकर्ता एक ओटीसी संविदा को अपनी केंद्रीय ट्रेजरी या समूह संस्था को अंतरित करता है। विलयनों, डिमर्जर या समामेलन जनित नवीकरणों हेतु मौजूदा ढांचा लागू होना बना रहेगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ



एफपीआई को शामिल करने हेतु केवाईसी मानदंडों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों के मामले में अब तक के निदेशों में बैंक वैकल्पिक रूप से मूल प्रमाणित प्रति जो प्राधिकारियों/अधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रमाणित की गई हो, ले सकते हैं। संशोधित निदेशों में इस सुविधा को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर भी लागू कर दिया गया है। निदेशों में संशोधन वाणिज्यिक बैंकों, शहरी व ग्रामीण सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों के लिए किया गया है।

आईडीपीआईसी की सदस्यता हेतु शहरी सहकारी बैंकों से संबन्धित भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों में संशोधन

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) भारत के केंद्रीय डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी आसूचना प्लेटफॉर्म भारतीय डिजिटल भुगतान आसूचना निगम (आईडीपीआईसी) की सदस्यता ले सकें, इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर निदेशों में संशोधन किया है। अन्य बातों के साथ, परिवर्तन बाजार अवसंरचना कंपनियों, यूसीबी क्षेत्र के छत्र संगठनों, आईडीपीआईसी और केंद्रीय सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों के इक्विटी शेयरों संबंधी अपेक्षाओं में किए गए हैं, यदि इन निकायों की सदस्यता लेने हेतु ऐसा आवश्यक हो।

जमाराशि समर्थित अग्रिमों हेतु कट-ऑफ तिथि में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) गणनाओं में न शामिल, जमाराशि समर्थित विशिष्ट अग्रिमों के लिए कट-ऑफ तिथि बदल कर 30 सितंबर 2026 से 31 अगस्त 2026 कर दी है। ये बदलाव प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कर्ज-लक्ष्य और वर्गीकरण, तृतीय संशोधन निदेश, 2026 के जरिए किए गए हैं। कुछ अन्य संशोधन भी किए गए हैं, जैसे कि:

- भारत में अग्रिमों का विस्तार नए विदेशी मुद्रा अनिवासी, एफसीएनआर(बी)/अनिवासी विदेशी (एनआई) जमाराशियों (नवीकृत जमाराशियों सहित) जो नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) से छूट प्राप्त हों, तक किया गया है।

- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लक्ष्यों की गणना हेतु एएनबीसी से बाहर की गई राशि सीआरआर/एसएलआर छूट हेतु नवीन बकाया पात्र एफसीएनआर (बी)/एनआरई जमाराशियों से अधिक नहीं हो सकती।

एडी श्रेणी I बैंकों हेतु अनिवार्य दो रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक ने हटा दिया है

अधिकृत डीलर श्रेणी 1 (एडी श्रेणी I) बैंकों को अनिवासी बैंकों के रुपया खाते रखने वाली उनकी शाखाओं/कार्यालयों की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रति वर्ष भेजनी होती थी। उन्हें ओवरसीज शाखाओं/प्रतिनिधियों द्वारा, अनुमत सीमा से ऊपर अस्थायी आहरणों जो पाँच दिनों के भीतर समायोजित न किए गए हों, को भी रिपोर्ट करना होता था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन दोनों रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को तुरंत प्रभाव से हटा लिया है।

पूंजी बाजार

सेबी द्वारा अनेक मानदंडों को अनुमोदन

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने पोर्टफोलियो प्रबंधक विनियमों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई), एक्सचेंज व्यापारित वस्तु डेरिवेटिव तथा कुछ अन्य हेतु कई सुधार अनुमोदित किए हैं। बोर्ड ने म्यूचुअल फंड यूनितों में निवेश हेतु पोर्टफोलियो प्रबंधक माध्यम (पीआरआईएम) लाने की अनुमति दे दी है। इससे पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं देने वाली संस्थाएं ग्राहकों की निधियों को प्रत्यक्ष म्यूचुअल निधि योजनाओं और विशेषीकृत निवेश निधियों में निवेश कर सकेंगी। मौजूदा पीएमएस प्रदाता 25 लाख रुपए के न्यूनतम टिकट आकार के साथ पीआरआईएम अलग निवेश राह के रूप में उपलब्ध करा सकेंगे। आगे, सांस्थानिक ग्राहकों के साथ सभी संप्रेषणों की कॉल रिकार्डिंग रखने की शोध विश्लेषकों और शोध संस्थाओं हेतु अपेक्षा में राहत दी गई है। कतिपय विनियमित संस्थाओं हेतु कॉमन विज्ञापन संहिता जिसमें ब्रांड-या संस्था-स्तरीय प्रमोशन के लिए सेलेब्रिटीज के उपयोग की अनुमति है, को अनुमोदित किया गया है जिसमें सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट शामिल होने के मामलों को छोड़ कुछ अनिवार्य पूर्व अनुमोदनों की आवश्यकता नहीं होगी। REIT और InvIT की यूनितों पर डिपॉजिटरी रसीदों के निर्गम की अनुमति भी दे दी गई है ताकि इन लिखतों में विदेशी पूंजी आकर्षित हो। संशोधित मान्यता प्राप्त निवेशक ढांचे में, भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति-एफपीआई को शामिल कर - मान्यता प्राप्त निवेशकों जैसे होंगे। अन्य अनुमोदनों में वाल्ट प्रबंधक विनियमों, REIT और InvIT हेतु व्यवसाय करने में सुविधा हेतु उपायों में बदलाव तथा अपना प्रथम सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) लाने की योजना बनाने वाले निर्गमकर्ताओं को सभी बकाया असूचीबद्ध एनसीडी को अनिवार्यतः सूचीबद्ध करने से छूट देना है।

सेबी मामलों के शीघ्र समाधान हेतु उपाय, दंड गणना हेतु नया सूत्र लेकर आया है

समाधान प्रक्रिया को सरल व तेज बनाने हेतु, सेबी उन मामलों का तीव्र समाधान करने की अनुमति देगा जिनमें समाधान राशि 10 लाख रुपए से कम है। ऐसे मामले सेबी की आंतरिक समिति से सीधे पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल को चले जाएंगे। कतिपय उल्लंघनों हेतु, सेबी समाधान राशि निर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस जारी करेगा जिसमें निकाय को राशि मात्र चुका कर कार्यवाही पूरी करने की अनुमति होगी। समाधान राशि की गणना हेतु एक नया सूत्र लाया गया है। गलत लाभों को बेस पेनल्टी में नहीं लिया जाएगा जिससे ऐसी राशियों को दो बार गिन लिए जाने की मौजूदा संभावना दूर होगी। संशोधित प्रक्रिया में वित्तीय विवरणों की गलतबयानी तथा निधियों के विपथन/हड़प किए जाने वाले मामलों को भी शामिल किया जाएगा। आगे, सेबी ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने हेतु उपलब्ध समय 60 दिन से बढ़ा कर 90 दिन कर दिया है।

डिमेट 2.0 में कॉर्पोरेट बांड के व्यापार के नए तरीके की परख होगी

भारतीय रिज़र्व बैंक और सेबी ने कॉर्पोरेट बांड के टोकनाइजेशन की परख हेतु हाल में एक दूसरे के साथ सहयोग किया है। डिमेट 2.0 नामक इस पहल को, प्रतिभूति बाजारों में निर्गम व समाधान प्रक्रिया को तेज करने हेतु बनाया गया है। यह कॉर्पोरेट बांड के निर्गम, धारण, व्यापार और समाधान के एक नए तरीके की परख करेगा। बांड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर बाजार अवसंरचना संस्थाओं द्वारा साथ रखे जाने वाले साझा इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पर सृजित किया जाता है।

सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) के निवेशकों के लिए सरल अनुपालन मानदंड

केवल सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए सेबी ने

विनियामक अनुपालन अपेक्षाओं में ढील दी है। ऐसे एफपीआई के लिए समूह का विवरण देना अब जरूरी नहीं होगा। इस परिवर्तन के पीछे कारण निर्धारित संकेन्द्रण सीमा के पालन हेतु सामान्य मार्ग से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशकर्ता एफपीआई हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस आवश्यकता को हटा देना है। परिणामतः, केवल सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) में निवेश करने वाले एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की पहचान की अपेक्षा अब प्रासंगिक नहीं है और इसलिए हटा ली गई है।

एंजेल निधियों हेतु समय सीमा में सेबी द्वारा विस्तार

10 सितंबर 2025 को या इसके पूर्व सेबी के यहाँ पंजीकृत एंजेल निधियों को मान्यता प्राप्त निवेशक अपेक्षा के अनिवार्य पालन हेतु 31 मार्च 2027 तक सात महीने का विस्तार मिला है। इस ट्रांजिशन अवधि में वे 200 तक गैर-मान्यता प्राप्त निवेशकों को निवेश पेशकश करती रह सकती हैं। तथापि, 31 मार्च 2027 से, इन एंजेल निधियों को एक निवेशिनी कंपनी में निवेश हेतु गैर-मान्यता प्राप्त निवेशकों से अंशदान स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी। मौजूदा निवेशक, एंजेल निधियों में अपने वर्तमान निवेश को शर्तों के अधीन, जारी रख सकते हैं। 10 सितंबर 2025 के बाद सेबी के यहाँ पंजीकृत निधियों को पहले से ही अधिदेश हैं कि वे केवल मान्यता प्राप्त निवेशकों को ही ग्राहक बनाएँ और निवेश अवसर पेश करें।

व्यवसाय को और आसान बनाने हेतु सेबी द्वारा ढांचे में संशोधन

वस्तु डेरिवेटिव खंड में उल्लंघनों हेतु दंड तथा ग्राहक के स्तर पर पोजीशन सीमाओं पर लागू ढांचे को सेबी ने संशोधित कर दिया है। कृषि वस्तु यदि संवेदनशील वस्तु न हो और विगत पाँच वर्षों में यदि इसकी औसत वितरणीय आपूर्ति मात्रा में न्यूनतम 10 लाख मीट्रिक टन की या मौद्रिक रूप से न्यूनतम 5,000 करोड़ रुपये की हो तो यह अब व्यापक वस्तु के रूप में मान्य होगी। कृषि वस्तुओं हेतु ग्राहक-स्तरीय समग्र पोजीशन सीमाओं को सेबी ने दोगुना भी कर दिया है। व्यापक वस्तुओं हेतु सीमा संशोधित कर वितरणीय आपूर्ति का 2%, नैरो वस्तुओं हेतु 1% और संवेदनशील वस्तुओं हेतु 0.5% कर दी गई है।

बीमा

विदेशी मध्यस्थों द्वारा लाभांश अंतरण हेतु आईआरडीएआई का पूर्व अनुमोदन हटा लिया गया है। सबकी बीमा सबकी रक्षा अधिनियम के अनुरूप, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने, विदेशी निवेशकों की बहुमत वाले हितधारक बीमा मध्यस्थों को आईआरडीएआई के अनुमोदन के बगैर लाभ प्रत्यावर्तित करने की अनुमति दे दी है। इस संशोधन के पूर्व, लाभांश के प्रत्यावर्तन हेतु आईआरडीएआई का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा और संबन्धित पक्षकार को भुगतान हेतु शर्त लागू होगी।

विनियामक के कथन

फिनटेक ने भारत के वित्तीय आर्किटेक्चर को नया आकार दिया है: गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि फिनटेक ने बीते दशक में भारतीय वित्त के ढांचे को बुनियादी तौर पर नया रूप दिया है। यह बैंकिंग को शाखा से नागरिकों के हाथ में ले गया है तथा इसने असंख्य भारतीयों हेतु वित्तीय समावेशन को एक जीवंत यथार्थ बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि फिनटेक ने वित्तीय अवसंरचना में ग्राहक अनुभव तथा दक्षता को बेहतर बनाते हुए भारत की व्यापक और विविधतापूर्ण आबादी को औपचारिक वित्त से तेजी से और अधिक किफायती ढंग से जोड़ा है। उनका विचार था कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने सदैव भरोसे, जो वित्त की बुनियाद है, की रक्षा करते हुए उत्तरदायित्वपूर्ण नवोन्मेष को बढ़ावा देने में विश्वास रखा है। अतः, शीर्ष बैंक भले ही फिनटेक कंपनियों की प्रगति हेतु डिजिटल जन संरचना के विकास का समर्थन करता हो और नए विचारों तथा भागीदारों के लिए खुला रहा हो, यह फिनटेक क्षेत्र में स्व-विनियमन को प्रोत्साहित करता रहेगा।

एनबीएफसी, एचएफसी को सुदृढ़तर साइबर सुरक्षा में अनिवार्यतः निवेश करना चाहिए: उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) की 7वीं समिट में मुख्य भाषण देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री शिरीष चंद्र मुर्मू ने एनबीएफसी और एचएफसी को अपने निधि संसाधनों में विविधता लाने, अंडरराइटिंग मानकों को सुदृढ़ करने और ग्राहक डेटा की सुरक्षा व भरोसा बनाए रखने हेतु मजबूत साइबर सुरक्षा में

निवेश करने को कहा। उन्होंने पाँच क्षेत्रों का जिक्र किया जो इन क्षेत्रों के संधारणीय विकास के समक्ष चुनौतियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। इनमें अभिशासन व संस्कृति, चलनिधि प्रबंधन; अस्ति गुणवत्ता व ऋण जोखिम; ग्राहक सुरक्षा व उचित आचरण; तथा डिजिटल बदलाव व साइबर आघात सह्यता शामिल हैं।

तकनीकी प्रगति के साथ जोखिमों में वृद्धि पर उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की चेतावनी

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में मुख्य वक्तव्य देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री रोहित जैन सतर्क किया कि वित्त में उभरती प्रौद्योगिकियों की गहन संलग्नता भले ही बढ़ रही हो, गति, संकेंद्रण व क्षमता के तीन जोखिम भी बढ़ रहे हैं। हालांकि, ये जोखिम पूर्णतः नए नहीं हैं, उन्नत होती प्रौद्योगिकी इनके प्रभावों को वित्तीय प्रणाली में तेजी से, व्यापक रूप से और पहचानने में कठिन तरीकों से प्रवेश करने दे सकती है।

भारतीय वित्तीय बाज़ारों में शीघ्र उछाल आएगा: उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

13वीं एसबीआई बैंकिंग व इकोनामिक्स संगोष्ठी में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर डॉ. पूनम गुप्ता ने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, मजबूत आर्थिक वृद्धि, अधिक अनुकूल होते पूंजी खाते तथा चालू खाता घाटे में और कमी से आयातित कच्चे तेल पर घटी हुई निर्भरता भारतीय वित्तीय बाज़ारों में जल्दी ही सुधार लाएगी। डॉ. गुप्ता ने आगे आघातों का सामना करने में नीति निर्माताओं की भूमिका का उल्लेख किया और सुझाव दिया कि नीति निर्माता स्पष्ट सम्प्रेषण करें, नीतिगत निश्चितता लाएँ तथा समृद्धि और स्थिरता के दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध रहें।

प्रौद्योगिकी बैंकिंग प्रणाली के लिए दोधारीतलवार हो सकती है: उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री रोहित जैन ने चेताया है कि प्रौद्योगिकी बैंकों के लिए अब सुविधा मात्र नहीं रही है बल्कि वह ढांचा बनती जा रही है जिसके जरिए उनके जोखिम उत्पन्न होते और प्रबंधित किए जाते हैं। उन्होंने सतर्क किया कि महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी प्रणाली में एक विफलता, आवश्यक वित्तीय सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है भले ही बैंक वित्तीय रूप से स्वस्थ बना रहे। एक बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और चलनिधि, स्वस्थ अभिशासन तथा मजबूत तुलन पत्र हो सकते हैं; फिर भी अनुपलब्ध प्रौद्योगिकी प्रणाली, साइबर घटना या निर्भरता वाली मुख्य प्रौद्योगिकी की विफलता ग्राहकों को आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने से वंचित कर सकती है। उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे प्रौद्योगिकी जोखिम को पारंपरिक तुलन पत्र जोखिम जितना ही महत्वपूर्ण 'पहले दर्जे का उद्यम जोखिम' न कि बैंक-ऑफिस या सूचना प्रौद्योगिकी विभागों द्वारा संभाला जाने वाला मुद्दा समझें।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा सितंबर 2026 माह हेतु जारी मासिक समीक्षा की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

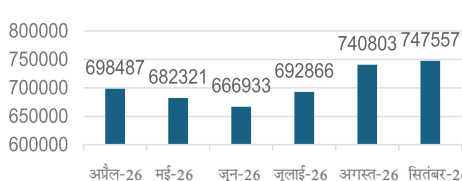
- वित्त वर्ष 27 की प्रथम तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.8% की वृद्धि हुई जबकि सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) 8.2% बढ़ा।
- विनिर्माण में 9.2% वृद्धि के बल पर, वास्तविक उद्योग जीवीए में 7.7% की वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 27 की प्रथम तिमाही में औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन मजबूत बना रहा।
- जुलाई 2026 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वर्षानुवर्ष 6.7% की वृद्धि हुई जबकि जून में यह वृद्धि 8.8% (संशोधित) थी।
- अगस्त में विनिर्माण गतिविधियाँ बढ़ती रहीं, हालांकि इसकी गति में कमी आई और एचएसबीसी इंडिया मैनुफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स सूचकांक (पीएमआई) घट कर 53.5 से जुलाई 2026 में 52.8 पर आ गया।
- अगस्त 2026 में, वस्तु निर्यात में वर्षानुवर्ष 26.1% की वृद्धि हुई, जबकि पेट्रोलियम, रत्न-आभूषण छोड़ कर वस्तु आयात कुल वस्तु आयात में 14.1% की तुलना में वर्षानुवर्ष 18.2% बढ़ा।
- अगस्त 2026 में, सेवा आयात वर्षानुवर्ष 24.6% बढ़ कर 38.9 बिलियन अमरीकी डॉलर थे। इसी समय, सेवा आयात वर्षानुवर्ष 37.4% बढ़ कर 21.4 बिलियन अमरीकी डॉलर रहे।
- जुलाई 2026 में चालू खाते खाते में 7.0 बिलियन अमरीकी डॉलर का घाटा दर्ज किया गया जबकि जुलाई 2025 में यह घाटा 3.2 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
- जुलाई 2026 में बैंक ऋण में भी वृद्धि हुई जो उद्यमों की विभिन्न श्रेणियों में व्यापक वृद्धि आधारित थी।

- बैंकिंग सेवा मूल्य तथा प्रतिभूति संव्यवहार जैसी वित्तीय सेवाओं में क्रमशः -3.35% व -1.32% की अवस्फीति दर्ज की गई। न्यूनतर कर्ज दरों तथा उच्चतर जमाराशि दरों ने वित्त वर्ष 27 की प्रथम तिमाही में बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांक पर दबाव डाला होगा। बीमा सेवा मूल्य मुद्रास्फीति 0.98% पर थमी रही जबकि पेंशन निधि प्रबंधन सेवा मूल्य सूचकांक और बैंकिंग सेवा योगदान सूचकांक में 5-7% की वृद्धि हुई।
- वित्त वर्ष 26 में 97 बिलियन अमरीकी डॉलर के रिकार्ड अंतर्वाह के बाद अप्रैल-जुलाई 2026 के दौरान सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह 43.9 बिलियन अमरीकी डॉलर पर मजबूत रहा। केवल जुलाई 2026 में ही सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह की राशि 14.6 बिलियन अमरीकी डॉलर रही जो अप्रैल-जुलाई 2026 के दौरान प्राप्त अंतर्वाह का लगभग एक तिहाई है।

नई नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री सुधाकर मल्ली	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री अनूप बागची	प्रबंध निदेशक और सीईओ, एचडीएफसी बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा भंडार			विगत 6 माह में विदेशी मुद्रा भंडार में प्रवृत्ति (मिलियन अमरीकी डॉलर)
	यथा 25 सितंबर 2026		कुल भंडार (मिलियन अमरीकी डॉलर)
	करोड़ (₹)	मिलियन अमरीकी डॉलर	
	1	2	
1 कुल भंडार	7164287	747557	 नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं।
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5897822	615411	
1.2 स्वर्ण	1041743	108701	
1.3 एसडीआर	178656	18642	
1.4 आईएमएफ में रिज़र्व पोজीशन	46066	4804	

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

यथा 30 सितंबर 2026 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें, अक्टूबर 2026 माह हेतु लागू

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)	एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
SOFR (अमरीकी डॉलर)	3.90	OCR (न्यूजीलैंड डॉलर)	2.75
SONIA (जीबीपी)	3.7302	SWESTR (स्वीडिश क्रोन)	1.684
STR (यूरो)	2.440	SORA (सिंगापुर डॉलर)	1.4974
TONA (जापानी येन)	1.227	HONIA (हॉंगकांग डॉलर)	2.61024
CORRA (कनाडाई डॉलर)	2.3000	MYOR (म्यांमार रुपया)	2.75
AONIA (ऑस्ट्रेलियाई डॉलर)	4.35	DESTR (डैनिश क्रोन)	2.0300
SARON (स्विस फ्रैंक)	-0.042330		

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

कुल प्रतिफल स्वैप

कुल प्रतिफल स्वैप (Total Return Swap) से आशय एक ऋण डेरिवेटिव संविदा से है जिसके अंतर्गत एक प्रतिपक्षकार (कुल प्रतिफल भुगतानकर्ता) एक संदर्भ आस्ति के समग्र आर्थिक प्रदर्शन को अन्य पक्षकार (कुल प्रतिफल प्राप्तकर्ता) को अंतरित करने को प्रतिबद्ध होता है और बदले में एक बेंचमार्क से संबद्ध पूर्व निर्धारित चल या अचल दर प्राप्त करता है।

वित्तीय ज्ञान

संश्लेषित प्रतिभूतिकरण

संश्लेषित प्रतिभूतिकरण (Synthetic securitisation) एक वित्तीय तकनीक है जिसमें एक बैंक कर्ज पोर्टफोलियो का ऋण जोखिम वास्तविक आस्तियों को अपने खुद के तुलन पत्र पर रखते हुए निवेशकों को ऋण डेरिवेटिव या गारंटी का उपयोग कर निवेशकों को अंतरित करता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अक्टूबर 2026 माह में आयोजित किए जाने वाले आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थान	प्रशिक्षण कार्यक्रम के विवरण हेतु लिंक
कार्यपालक विकास कार्यक्रम	13-15 अक्टूबर, 2026	पीडीसी, नयी दिल्ली	https://www.iibf.org.in/iibf-news/604/attachment/view-public
बैंकों व अन्य आरई में जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम	14-15 अक्टूबर, 2026	वर्चुअल	https://www.iibf.org.in/iibf-news/790/attachment/view-public
केवाईसी/एएमएल/सीएफटी - एडी संव्यवहारों की निगरानी पर कार्यक्रम	15-16 अक्टूबर, 2026	वर्चुअल	https://www.iibf.org.in/iibf-news/656/attachment/view-public
प्रभावकारी शाखा प्रबंधन पर कार्यक्रम	15-17 अक्टूबर, 2026	हाइब्रिड (लीडरशिप केंद्र, मुंबई)	https://www.iibf.org.in/iibf-news/821/attachment/view-public
बैंकों/एफआई में बेहतर जोखिम अभिशासन: ऋण व परिचालन जोखिम पर कार्यक्रम	15-17 अक्टूबर, 2026	हाइब्रिड (पीडीसी, लखनऊ)	https://www.iibf.org.in/iibf-news/846/attachment/view-public
डिजिटल कर्ज उत्पादों में एआई पहलों पर कार्यक्रम	17 अक्टूबर, 2026	वर्चुअल	https://www.iibf.org.in/iibf-news/807/attachment/view-public

डीपीडीपी अधिनियम लागू करने: बैंकों व वित्तीय संस्थानों हेतु व्यावहारिक अनुपालन पर कार्यशाला	24 अक्टूबर, 2026	वर्चुअल	https://www.iibf.org.in/iibf-news/681/attachment/view-public
निवारक सतर्कता और लेखापरीक्षा से आंतरिक नियंत्रण मजबूत करने पर कार्यक्रम	26-27 अक्टूबर, 2026	वर्चुअल	https://www.iibf.org.in/iibf-news/847/attachment/view-public
फ्राड शील्ड प्रो: उन्नत जोखिम व निवारण लैब (धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) पर कार्यक्रम	27-28 अक्टूबर, 2026	वर्चुअल	https://www.iibf.org.in/iibf-news/891/attachment/view-public
बैंकरों हेतु संप्रेषण व निर्णयन कौशल पर कार्यक्रम	28-29 अक्टूबर, 2026	वर्चुअल	https://www.iibf.org.in/iibf-news/848/attachment/view-public
अपने ग्राहक को जानें (KYC), धनशोधन निवारण (AML) तथा आतंकवाद को वित्तपोषण रोकने (CFT) पर कार्यक्रम	29-30 अक्टूबर, 2026	वर्चुअल	https://www.iibf.org.in/iibf-news/706/attachment/view-public
बैंकशील्ड 360: डेटा, साइबर व अनुपालन दृढ़ता (डीपीडीपी अधिनियम व अन्य विनियामक अनुपालन) पर कार्यक्रम	29-30 अक्टूबर, 2026	पीडीसी, चेन्नई	https://www.iibf.org.in/iibf-news/884/attachment/view-public

संस्थान समाचार

बैंकिंग चाणक्य - 2026

संस्थान 2017 से वार्षिक अंतर-बैंक क्विज प्रतियोगिता बैंकिंग चाणक्य को 2017 से सफलतापूर्वक आयोजित करता रहा है जिसमें समस्त क्षेत्रों के बैंक की सक्रिय एवं उत्साहपूर्ण सहभागिता रहती है। बीते वर्षों में, क्विज को बैंकिंग समुदाय में उल्लेखनीय मान्यता मिली है और यह पूरी तरह बैंकरों के लिए, बैंकरों द्वारा और बैंकरों का आयोजित विशिष्ट समारोह बन कर उभरा है। इस समारोह को प्रति वर्ष आयोजित करने की संस्थान की प्रतिबद्धता के अनुरूप, बैंकिंग चाणक्य - 2026 नामक इस अंतर-बैंक क्विज का छठा संस्करण 1 नवंबर 2026 से आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

बीसी/बीएफ पाठ्यक्रम हेतु ई-लर्निंग

आईआईबीएफ ने 'बिजनेस करेस्पॉण्डेंट्स/बिजनेस फैसिलिटेटर्स (बीसी/बीएफ)-बेसिक' हेतु अंग्रेजी और हिंदी में ई-लर्निंग पाठ्यक्रम शुरू किया है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

‘भारतीय बैंकिंग का भविष्य: विकास, प्रौद्योगिकी, भरोसे तथा आघात सह्यता में संतुलन बनाना’ पर वेबिनार

आईआईबीएफ ने 29 सितंबर 2026 को ‘भारतीय बैंकिंग का भविष्य: विकास, प्रौद्योगिकी, भरोसे तथा आघात सह्यता में संतुलन बनाना’ विषय पर वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार में वक्ता इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष श्री अरिजित बसु थे। व्याख्यान को अच्छा प्रतिसाद मिला और इसमें बड़ी संख्या में बैंकर उपस्थित रहे।

आईआईबीएफ द्वारा स्व-गति वाले नए ई-लर्निंग पाठ्यक्रम

आईआईबीएफ ने स्व-गति वाले चार नए ई-लर्निंग पाठ्यक्रम शुरू किए हैं:

- हरित और आघात सह्य भवन हेतु वित्तपोषण
- बैंकिंग में साफ्ट स्किल्स और कार्यस्थल शिष्टाचार
- बैंकों हेतु कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग
- बैंकों हेतु परियोजना वित्तपोषण (उन्नत)

अधिक जानकारी <https://www.iibf.org.in> पर उपलब्ध है।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय

बैंक क्वेस्ट के अक्टूबर-दिसम्बर 2026 अंक का विषय 'ऋण समावेशन: ऋण अंतराल को पाटना' है। उप-विषय हैं: ऋण पहुँच हेतु डेटा तथा उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका; ऋण वितरण में फिनटेक और एनबीएफसी तंत्र; डिजिटल माध्यम से कर्ज; सूक्ष्म वित्त; एमएसएमई को वित्तपोषण; एम्बेडेड वित्त; उभरते क्षेत्रों को वित्तपोषण।

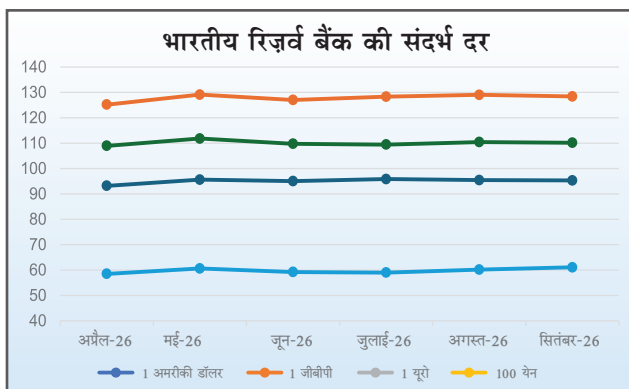
परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में कट-ऑफ तिथि

संस्थान की एक प्रथा है कि प्रत्येक परीक्षा में हाल की घटनाओं/विनियामक (कों) द्वारा जारी निशानिर्देशों के विषय में प्रश्न पूछे जाएँ ताकि यह जांचा जा सके कि क्या अभ्यर्थी वर्तमान घटनाओं की जानकारी से खुद को अवगत रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि से परीक्षाओं की वास्तविक तिथि तक घटनाओं/दिशानिर्देशों में बदलाव हो सकता है। इन मुद्दों के कारगर समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया है कि (i) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के मार्च से अगस्त की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 31 दिसंबर तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा (ii) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के सितंबर से फरवरी की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 30 जून तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा।

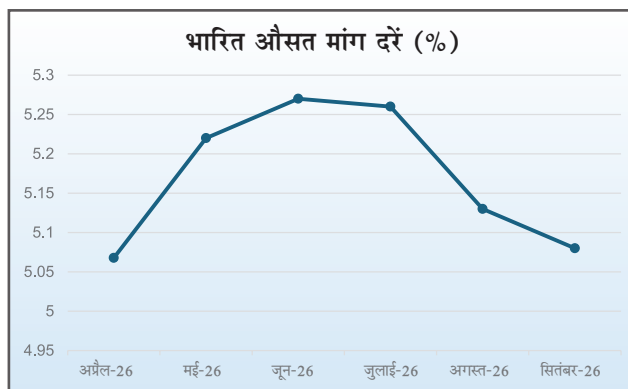
पर्यावरण अनुकूल कदम

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान में अपना ई-मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल से पाने हेतु अपनी सहमति प्रेषित करें।

बाजार की खबरें

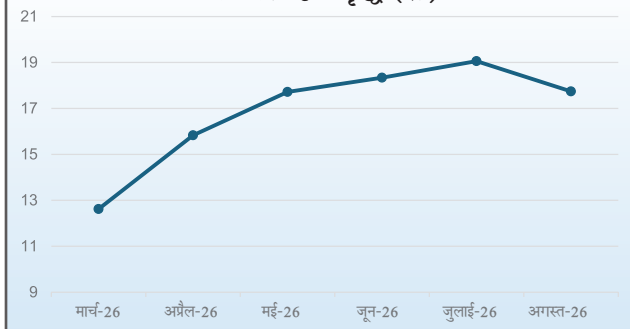


स्रोत: एफबीआईएल



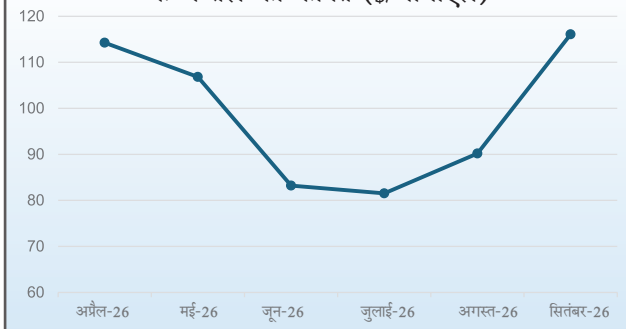
स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

खाद्योत्पादन वृद्धि (%)



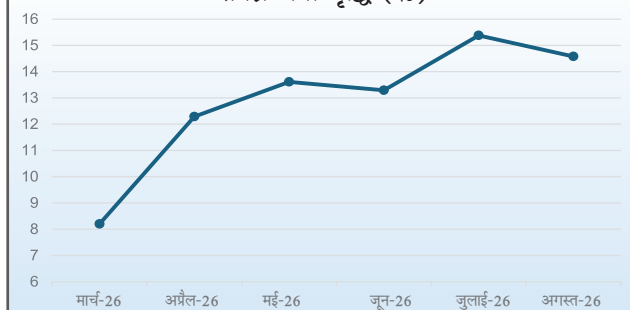
स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अगस्त 2026

कच्चे तेल की कीमत (\$/बीबीएल)



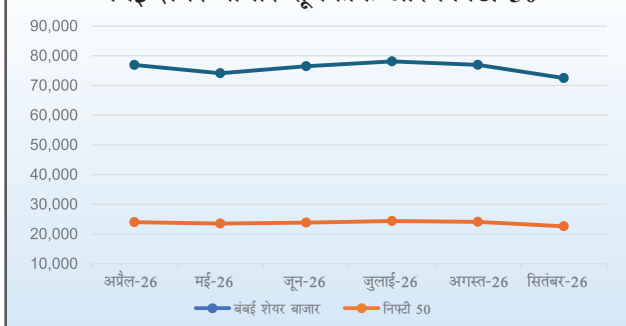
स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

समग्र जमा वृद्धि (%)



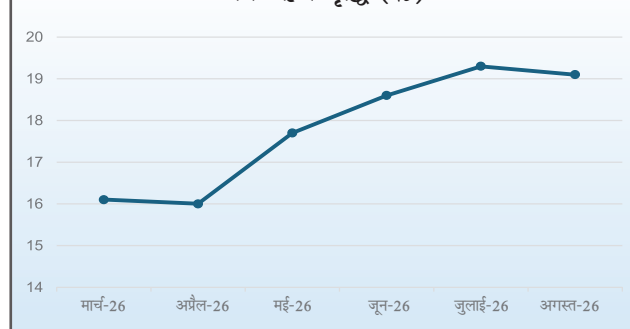
स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अगस्त 2026

बंबई शेयर बाजार सूचकांक और निफ्टी 50



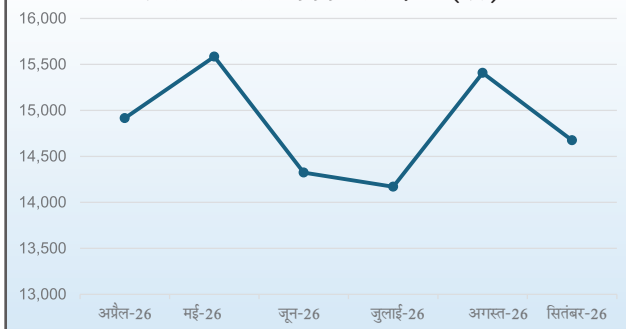
स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

बैंक ऋण वृद्धि (%)



स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

सोने की कीमत 999 प्रति ग्राम (₹.)



स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

Printed by Deepak Kumar Lalla, Published by Deepak Kumar Lalla, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and printed at Printrade Issues (I) Pvt. Ltd., 17, Pragati Ind. Estate, 316, N. M. Joshi Marg, Mumbai - 400011 and published at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.

Editor : Deepak Kumar Lalla

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE

Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.

Tel. : 08069260710

E-mail : admin@iibf.org.in

Website : www.iibf.org.in